

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण फतेहपुर।
लीगल एड डिफेन्स कौन्सिल सिस्टम
विज्ञप्ति

उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के पत्रांक- 3153/एसएलएसए-99 /2019 (हैदर/ऋ) दिनांकित 25 अगस्त 2022 के द्वारा प्राप्त हुये आवेदन पत्रों की कम संख्या को दृष्टिगत रखते हुये पुनः पत्र संख्या-3309/एसएलएसए-99/2019 (हैदर/ऋ) दिनांकित 07 सितम्बर 2022 के द्वारा आवेदन की तिथि बढ़ाये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। जनपद न्यायालय फतेहपुर में लीगल एड डिफेन्स कौन्सिल की स्थापना की जानी है जिस हेतु पुनः निम्नलिखित पदों पर अतिरिक्त आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।


क.स.	पदों के नाम	पदों की संख्या
01	चीफ लीगल एड डिफेन्स काउंसिल ।	01
02	डिप्टी लीगल एड डिफेन्स काउंसिल।	01
03	असिस्टेन्ट लीगल एड डिफेन्स काउंसिल।	02
	कुल पदों की संख्या	04

चयन से सम्बन्धित विस्तृत विज्ञापन एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के विस्तृत दिशा निर्देश में दी गयी पात्रता/योग्यता पूर्ण करने वाले व्यक्ति निर्धारित आवेदन प्रारूप पर समस्त औपचारिताओं को पूर्ण करते हुये अपने आवेदन पत्र कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, फतेहपुर में दिनांक-15.09.2022 की सायं 05:00 बजे तक प्रेषित कर सकते हैं।


अंतिम तिथि व समय के उपरान्त प्राप्त आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। उपर्युक्त के सम्बन्ध में विस्तृत/अधिक जानकारी एवं आवेदन पत्र के प्रारूप के लिये जनपद न्यायालय की वेबसाइट-<https://districts.ecourts.gov.in/fatehpur> एवं माननीय उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की वेबसाइट-www.upslsa.up.nic.in, माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की वेबसाइट-www.allahabadhighcourt.in एवं माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली की वेबसाइट www.nalsa.gov.in पर सम्पर्क कर सकते हैं।

दिनांक-07.09.2022

संलग्नक-उपरोक्तानुसार


सचिव (पूर्ण कालिक)
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
फतेहपुर।

- प्रतिलिपि-1.** केन्द्रीय नाजिर जनपद न्यायालय फतेहपुर को नोटिस बोर्ड पर चस्पा किये जाने हेतु।
2. नोडल अधिकारी कम्प्यूटर अनुभाग को माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद व जनपद न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।
3. अध्यक्ष जिला बार एसोसिएशन फतेहपुर को बार एसोसिएशन के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किये जाने हेतु।
4. कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, फतेहपुर के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किये जाने हेतु।
5. जिला सूचना अधिकारी, फतेहपुर को इस आशय के साथ प्रेषित की जनपद के समस्त समाचार पत्रों में निःशुल्क विज्ञापन कराना सुनिश्चित करे तथा विज्ञापन की पेपर कटिंग कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण फतेहपुर को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।


सचिव (पूर्ण कालिक)
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
फतेहपुर।